164

संख्याः 1187 /VII-2-13/171–उद्योग/2006

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 16 जुलाई, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत "उद्यमिता विकास प्रशि0 कार्यकम" **(जिला योजना) हेतु धनराशि स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 तथा नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 631/362–वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2012 दिनांक 27 मई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में **अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) के अधीन जिला योजनान्तर्गत "उद्यमिता विकास प्रशि0 कार्यकम" योजना हेतु धनराशि रू0 1.09 लाख (रू0 एक लाख नौ हजार मात्र)** संलग्न ऑलाटमेंट आई0डी0 **S1307300070** दिनांक **12 जुलाई, 2013** के अनुसार निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता हो।

3. धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय की जा रही है।

4. स्वीकृत धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 तथा नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2014 तक कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2014 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

7. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–30 के मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 02–अनुसूचित जाति उपयोजना, 03–उद्यमिता विकास प्रशि0 कार्यकम, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

Dist. plan GO 2013-14.doc-17

8. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में इंगित निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– ॲलाटमेंट आई0डी0 संख्या **S1307300070** दिनांक 12 जुलाई, 2013

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1107 (1)/VII-2-13/171–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
3. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुंगरियाल)
अनु सचिव।